

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 1986

सं० सी-11031/1/86-रा० रा० क्षेत्र यो० बो०—  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व  
अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 1986

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी  
क्षेत्र योजना बोर्ड विनियम, 1986 है।  
(ii) ये नियम तब से प्रवृत्त होंगे जब से बोर्ड का  
गठन किया गया है।

2. परिभाषायें :

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित  
न हो,—

- (i) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना  
बोर्ड अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;  
(ii) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राज-  
धानी क्षेत्र योजना बोर्ड अभिप्रेत है।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते :

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और  
मकान किराया भत्ता से भिन्न सभी अन्य भत्ते वही होंगे  
जो केन्द्रीय सरकार ने अपने समतुल्य हैसियत से कर्मचारियों  
के लिये विहित किये हैं।

4. छुट्टी की मंजूरी :

छुट्टी की मंजूरी के विषय में बोर्ड के अधिकारी और  
कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय  
सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 और केन्द्रीय सरकार  
द्वारा उसके अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों  
से शासित होंगे।

5. मकान किराया भत्ता :

बोर्ड के दिल्ली में स्थित अधिकारी और कर्मचारी मकान  
किराया भत्ते के रूप में अपने वेतन का 20 प्रतिशत के  
हकदार होंगे मकान किराया भत्ता के लिये अन्य शर्तें  
वही होंगी। जो केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू हैं।

6. पेंशन, उपदान, सेवा निवृत्त फायदे और साधारण  
भविष्य निधि :

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी शर्तों पर और  
ऐसी शर्तों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी ग्रेडों  
के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हैं, पेंशन, उपदान,  
अन्य सेवा निवृत्त फायदों और साधारण भविष्य निधि  
के हकदार होंगे।

7. सेवा की अन्य शर्तें :

जब तक कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तथा प्रतिकूल  
रूप से अन्यथा उपबन्धित नहीं किया जाता, बोर्ड के अधि-  
कारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और  
शर्तें, जहां तक संभव हों, मूल और अनुपूरक नियम, साधारण  
वित्तीय नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा, नियम,  
1965, केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम,  
1944 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980  
इत्यादि और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर  
उक्त नियमों के अधीन जारी किये गये ऐसे आदेशों और  
विनिश्चयों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों  
को लागू हों, शासित होंगे।

8. आचरण नियम :

समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा  
आचरण नियम 1955 बोर्ड के कर्मचारियों को लागू होंगे।

9. अनुशासनिक कार्रवाईयां :

समय-समय पर यथासंशोधित। वर्गीकरण नियंत्रण और  
अपील नियम बोर्ड के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार  
लागू होंगे जिस प्रकार वे सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध  
में लागू हैं। इन नियमों के अधीन राष्ट्रपति में विहित  
शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा और विभागाध्यक्ष की शक्तियों  
का प्रयोग सदस्य से सचिव द्वारा किया जावेगा।

10. प्रतिनियुक्त व्यक्ति :

बोर्ड के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो बोर्ड में केन्द्रीय  
सरकार या राज्य सरकारों वे या केन्द्रीय या राज्य सरकार  
के स्थानीय, विकास या अन्य कानूनी प्राधिकरणों या उपक्रमों  
से प्रतिनियुक्त पर कार्य कर रहे हैं, उन निबंधनों और शर्तों  
से शासित होंगे जो उनके मूल प्राधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्त  
के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाते हैं। उन निबंधनों और  
शर्तों की बाबत, जो आदेश में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये  
हैं, वे बोर्ड के कर्मचारियों को लागू, उपरोक्त विनियमों से  
शासित होंगे।

एम० शंकर,  
सदस्य-सचिव